166

<u>न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर, कैम्प रीवा,</u>

<u>संभाग रीवा म.प्र.</u>

RB 3

राजमणि सिंह तनय श्री रामाश्रय सिंह, निवासी कूंची, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र. ....निगराकार

R 5178-II/16

बनाम

शासन म.प्र. जरिए पटवारी हल्का कुशियरा, तह.रघुराजनगर,जिला–सतना म.प्र.

...............गैरनिगराकार

श्री रामगोपाल त्रिपाठी एड. द्वारा आज दिनांक 11-4-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी खिलाफ आदेश तहसीलदार, वृत्त हाटी, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र. जरिए <u>प्र.क्र.6अ12/2015–16 आदेश दिनांक 07.02.2016</u>

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959</u>

मान्यवर,

निगराकार निम्न निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

01. यह कि आदेश माननीय अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार वृत्त हाटी, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र. जिसे आगे चलकर अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया जाएगा, खिलाफ कानून एवं वाकियात है।

02. यह कि आवेदक/निगराकार ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजा कूंची की आ.नं.–281/2ग के सीमांकन का आवेदन दिया था और उक्त आराजी चूंकि बटा नंबर में विभाजित है, इसलिए नक्शा तरमीम कर विधिवत सीमांकन आवेदन पत्र दिया गया था। चूंकि राजस्व निरीक्षक, वृत्त हाटी द्वारा नक्शा तरमीम प्रस्तावित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5178–दो/16 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामलोचन विश्वकर्मा द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील सर्किल हाटी तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 6/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 7.2.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में संलग्न स्थल पंचनामा एवं सूचना पत्र में ग्राम कूंची की आराजी क्रमांक 280/2ख, 281/2ग 235/2ग रकवा 0.004, 0.020, 0.182 है0 का सीमांकन कार्य किया गया जिस पर राजमणि सिंह तनय श्री रामआश्रय सिंह के हस्ताक्षर अंकित है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि सीमांकन की सूचना नहीं है। अतः तहसीलदार तहसील सर्किल हाटी तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 6/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 7.2.16	

उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एम0 एस0 अली)
सदस्य